न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी–पीयुष सामारिया
आई0ए0एस0

प्रा0 पत्र सं0 125/2010 (अ0धा0 14 (4)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

1. सरकार जरिये तहसीलदार, महवा जिला दौसा

..प्रार्थी

बनाम

1.मुकेश कुमार पुत्र रमेश चंद जाति ब्राहमण निवासी कमालपुर तहसील महवा जिला दौसा राजस्थान

..अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अ0धा0 14 (4) भू–आवण्टन नियम–1970
उपस्थित–1. श्री नवलकिशोर शर्मा, पैरोकार सरकार

निर्णय दिनांकः 29.10.2021

संक्षिप्त वृतांत प्रा0 पत्र 14 (4) इस प्रकार है कि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 24.06.2002 को ग्राम कमालपुर तहसील महवा के आ0ख0नं0 43 रकबा 0.20 है0 भूमि का आवंटन अप्रार्थी को किया गया। अप्रार्थी द्वारा आवण्टन की शर्तो की पालना नहीं करने के कारण तहसीलदार, महवा द्वारा यह प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 14 (4) भू–आवण्टन नियम–1970 के तहत इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

प्रा0 पत्र 14 (4) दर्ज रजिस्टर किया गया । अप्रार्थी को तलब किया गया । अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया।

पैरोकार सरकार की बहस में दलील है कि अप्रार्थी मुकेश कुमार पुत्र रमेश चंद जाति ब्राहमण निवासी कमालपुर तहसील महवा जिला दौसा को दिनांक 24.06.2002 को ग्राम कमालपुर तहसील महवा के आ0ख0नं0 43 रकबा 0.20 है0 भूमि का आवंटन किया गया। किंतु अप्रार्थी द्वारा आवण्टित भूमि का आवंटन की शर्तो की पालना नहीं की गई। मौके पर भूमि खाली (पडत) पडी हुई हैं । भूमि आज तक भी गैर खातेदारी दर्ज है। एकीकरण खतौनी सं0 2018 में उक्त भूमि गै0मु0 नदी दर्ज थी। जिसको भू–प्रबंध विभाग ने संवत 2050 में किस्म परिवर्तन कर सिवायचक दर्ज कर दिया गया। किस्म परिवर्तन के कारण उक्त भूमि अप्रार्थी को आवंटित कर दी गई। अतः आवंटन की शर्तो की पालना व भूमि आवंटित योग्य नहीं होने के कारण आवंटन निरस्त योग्य है। अतः अप्रार्थी को किया गया आवंटन निरस्त फरमावें।

अप्रार्थी बाद तामील न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ है। हमने गुणावगुण के आधार पर प्रकरण का निस्तारण किया जाना उचित समझते हुए पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि अप्रार्थी द्वारा आवंटन सलाहकार समिति के समक्ष भूमि आवंटन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर उसकी जॉच पटवारी हल्का से करवाई गई। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अप्रार्थी को आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 24.06.2002 को ग्राम कमालपुर

तहसील महवा के आ0ख0नं0 43 रकबा 0.20 है0 भूमि का आवंटन किया गया। किन्तु अप्रार्थी द्वारा आवंटित भूमि की शर्तो की पालना नहीं की गई। क्योंकि मौके पर आज भी भूमि खाली (पडत) पडी हुई है तथा अप्रार्थी के नाम गैर खातेदारी दर्ज है। भूमि भू प्रबंध विभाग द्वारा एकीकरण से पूर्व गै0मु0नदी दर्ज थी। जिसको भू–प्रबंध विभाग ने सिवायचक दर्ज कर दिया गया। किस्म परिवर्तन के कारण उक्त भूमि अप्रार्थी को आवंटित करदी गई। भू–प्रबंध विभाग को किस्म परिवर्तन करने का अधिकार नहीं है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के तहत गै.मु.तालाब, नदी, नाले व जलोट भूमि पर खातेदारी अधिकार प्राप्त नही हो सकते । आवंटन आदेश व खातेदारी अधिकार अवैद्य होने से प्रभाव शून्य है। मा0 उच्च न्यायालय द्वारा डी0बी0 रिट पिटिशन 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार मे भी जलोढ भूमि को पूर्व की स्थिति में लाये जाने के लिए सिद्धांत प्रतिपादित किया है। ऐसी स्थिति में उक्त आवंटित भूमि गै0मु0 नदी होने के कारण आवंटन योग्य नहीं थी। अतः अप्रार्थी के पक्ष में किया गया आवण्टन खारिज योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी तहसीलदार, महवा द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र 14 (4) स्वीकार किया जाता है। आवंटन सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 24.6.2002 द्वारा ग्राम कमालपुरा में अप्रार्थी के पक्ष में किया गया आवंटन दिनांक 26.06.2002 खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति पालनार्थ तहसीलदार (भूमिधारी) महवा को प्रेषित की जावे। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख लौटाया जावे। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(पीयुष समारिया)
जिला कलेक्टर,दौसा
जिला कलेक्टर,दौसा

निर्णय आज दिनांकः 29 अक्टूबर 2021 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया ।

न्यायालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट दौसा

(पीयुष समारिया)
जिला कलेक्टर, दौसा
जिला कलेक्टर,दौसा